न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 367/2024 दायर दिनाँक 29.10.2024

वादी

1. जैसराज पुत्र स्व0 मोहनराम जाति ब्राहम्ण निवासी जैसलान तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. खेमचन्द पुत्र स्व. मोहनराम
2. गोविन्दराम पुत्र स्व. मोहनराम
3. घनश्याम पुत्र स्व. मोहनराम
4. नेमीचन्द पुत्र स्व. मोहनराम
5. मुकेशकुमार पुत्र स्व. मोहनराम
6. गुलाबीदेवी पत्नि स्व. मोहनराम
7. पुष्पा पुत्री स्व. मोहनराम समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी जैसलान तहसील लाडनूं जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)
8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती
हस्ब धारा – 88,136 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री हरदीन राय जाखड़ वकील वादी।
2. श्री राजेश कुमार प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 18.08.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, मौजा गिरधारी पुरा पटवार हल्का कलवानी के पुराने खेत खसरा संख्या 149 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा संख्या 230 रकबा 4.4900 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि अवस्थित है। वादी के पिता स्व. मोहनराम का दिनांक 07.02.2012 को स्वर्गवास हो जाने पर उक्त खेत की खातेदारी जरिये विरासत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज हो गई तथा जमाबंदी संवत् 2069 से 2072, तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम व हिस्सा बराबर खातेदारी सही रूप से दर्ज रही है तथा संवत् 2073 से 2076 की चौसला जमाबंदी में भी वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 के नाम से खातेदारी सही दर्ज रही है मगर संवत 2073 में जमीन का क्षेत्रफल बिघा के स्थान पर हैक्टेयर दर्ज किया गया जिसमें नये खसरा संख्या 230 रकबा 4.4900 है. तो दर्ज कर दिया मगर खातेदारान के नाम दर्ज करते वक्त गलती से वादी का नाम दर्ज होना रह गया तथा केवल प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का ही 1/7 – 1/7 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जिसे वादी दुरूस्त करवाने के इस्तदुआ कर रहा है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

मौजा गिरधारी पुरा पटवार हल्का कलवानी के खसरा संख्या 230 रकबा 4.4900 है. की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का प्रत्येक का 1/7 के स्थान पर प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे व इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7 की ओर से इकबालिया जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक–रा[illegible]/एस.पी.1 दिनांक 03.04.2025 द्वारा तथ्यात्मकर रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से [illegible] रिपोर्ट अनुसार ग्राम गिरधारीपुरा के गत ख.नं. 149 रकबा 27–15 बीघा की खातेदारी खेमचन्द गोविन्दराम जैसराज घनश्याम नेमीचन्द मुकेश कुमार पि. मोहनराम गुलाबी देवी पत्नी मोहनलाल पुष्पा पुत्री मोहनराम कौम ब्राह्मण सा जेसलान तह. लाडनू खातेदार के नाम दर्ज थी। बाद भू–प्रबन्ध के ख.नं. 149 रकबा 27–15 बीघा के नये ख.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रकबा 4.49 है. बने। भू. प्रबन्ध से प्राप्त मिसल के आधार पर बनी आधार जमाबंदी में उक्त ख.नं. की खातेदारी खेमचन्द गोविन्दराम घनश्याम नेमीचन्द मुकेश कुमार पि. मोहनलाल गुलाबी देवी पत्नी मोहनलाल पुष्पा पुत्री मोहनलाल सा. जैसलाण तह. लाडनू खातेदारी के नाम दर्ज हुई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पक्षकारान वाद में रेकर्ड दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त करते है तथा अन्य किसी पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवालोकन उपरान्त पाया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072, तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम व हिस्सा बराबर खातेदारी सही रूप से दर्ज रही है परन्तु वक्त सेटलमेंट नये खसरा संख्या 230 रकबा 4.4900 है. की जमाबंदी में वादी का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

मौजा गिरधारी पुरा पटवार हल्का कलवानी के खसरा संख्या 230 रकबा 4.4900 है. की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को खोतदार घोषित किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 18.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested